प्रेस विज्ञप्ति

02.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैंसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में 31/01/2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर, जौरा और मंदसौर और महाराष्ट्र के अकोला में स्थित 11 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समूह की कंपनियों के व्यावसायिक परिसरों और कंपनियों के निदेशकों के आवास को शामिल किया गया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, समूह की कंपनियों के बही खाते और अचल/चल संपत्तियों के विवरण मिले और जब्त कर लिए गए।

प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, एसी-IV, व्यापमं, भोपाल द्वारा दर्ज की गई एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला है कि 2011 से 2013 की अवधि के दौरान मेसर्स नारायण निर्यात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एमपी और इसके निदेशकों ने यूको बैंक (लीड बैंक), कॉर्पोरेशन बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय) और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंकों के संघ से लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) और एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट (ईपीसी) के रूप में कुल लगभग 110.50 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया।

उक्त कंपनी 109.87 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में विफल रही। कंपनी ने उस कोष का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जिसके लिए उसे मंजूरी दी गई थी,तथा बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए फर्जी खाता बही प्रस्तुत किया। उन्होंने उक्त बैंकों को धोखा दिया और एलसी/ईपीसी के माध्यम से प्राप्त राशि को विभिन्न सहयोगियों/सिस्टर कंसर्न कंपनियों जैसे पद्मावती ट्रेडिंग कंपनी, मंदसौर सेल्स कॉर्पोरेशन, रामकृष्ण सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड और धौलतवाला एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड को बिना किसी माल का लेनदेन किए भेज दिया। इसके अलावा यह पाया गया कि बैंकों के पास गिरवी रखी गई संपत्ति का कुछ हिस्सा बैंकों को बिना किसी सूचना के तीसरे पक्ष को बेच दिया गया था। इस प्रकार, मैसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रियाओं और गतिविधियों में लिप्त पाई गई।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****

मसौदा ट्वीट: